

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (A-211) अलेसे-I/722

दिनांक:- 18/12/19

कोषाधिकारी,
चूरु।

विषय:- श्री अब्दुल जब्बार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को कार्यमुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय आदेश संख्या 264/2017-18 दिनांक 24.12.2017 एवं आदेश संख्या 38/2018-19 दिनांक 25.04.2018

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक विभागीय आदेश संख्या 264/2017-18 दिनांक 24.12.2017 के द्वारा श्री अब्दुल जब्बार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, चूरु से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चूरु में किया गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 1292 दिनांक 31.01.2018 के क्रम में पुनः आदेश किया, जिसमें श्री अब्दुल जब्बार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण प्रासंगिक आदेश संख्या 38/2018-19 दिनांक 25.04.2018 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चूरु से प्रभारी भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, चूरु में किया गया। उपरोक्त विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2018 की अनुपालना में श्री जब्बार को अविलम्ब नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करना था, परन्तु 1 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी आपके द्वारा अभी तक श्री जब्बार को कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

अब लेख है कि चूरु मुख्यालय पर आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, अतः श्री जब्बार को कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय प्रभारी भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, चूरु में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करावें।

भवदीय,

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक